

न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला-पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS No : 2022/179
दायरा तिथि : 04.05.2022

फैसला तिथि : 12-09-2022

प्रार्थी:-

चंपालाल पुत्र जेठाराम जाति जांगिड ब्राह्मण
निवासी चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली
बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
उपस्थिति:-

1. श्री अमृत परिहार..... अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार, बाली पैरोकार सरकार की ओर से

-:: आदेश ::-

दिनांक 12-09-2022

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम चामुण्डेरी तहसील बाली में धारित की जा रही खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2345/1 रकबा 0.7750 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम चोपाराम पुत्र जेठाराम को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम चम्पालाल पुत्र जेठाराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपूर्ण नाम चोपाराम पुत्र जेठाराम दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक व राशन कार्ड के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम चम्पालाल पुत्र जेठाराम दर्ज होना स्वीकार किया तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपूर्ण नाम चोपाराम पुत्र जेठाराम के स्थान पर चम्पालाल पुत्र जेठाराम शुद्ध किये जाने वाबत सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम चम्पालाल पुत्र जेठाराम है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक व राशन कार्ड की प्रतियां पेश कर दी है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिपूर्ण नाम चोपाराम पुत्र जेठाराम दर्ज है, जिससे राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व बकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम चामुण्डेरी तहसील बाली में धारित की जा रही खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2345/1 रकबा 0.7750 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम चोपाराम पुत्र जेठाराम को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम चम्पालाल पुत्र जेठाराम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकॉर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, चामुण्डेरी को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
बाली, जिला-पाली (राज.)
मू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 12-09-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

